

कार्यालय, जनसूचना अधिकारी, नगरपालिक निगम चिरमिरी,
जिला-कोरिया (छठगठ)

क्रमांक / 237 / ज०सू०अधि०-०५ / न०पा०नि० / २०१४
प्रति,

चिरमिरी, दिनांक ०२/०५/१५

श्री सुमेर सिंह आ० स्व० झेल साय
साडा काम्पलेक्स, हल्दीबाड़ी
चिरमिरी, जिला-कोरिया (छठगठ)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत जानकारी के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक ०१.०५.२०१४

विषयांतर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अंतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी राजस्व शाखा के प्राप्त प्रतिवेदन व जानकारी प्रदाय अनुसार आपको कुल (५) पृष्ठ की जानकारी सत्यापित कर प्रदाय की जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रति।

(Signature)

आर.के.चौधे

जन सूचना अधिकारी

नगरपालिक निगम चिरमिरी

जिला-कोरिया छठगठ

चिरमिरी, दिनांक ०२/०५/१५

प०क्र० / 238 / ज०सू०अधि०-०५ / न०पा०नि० / २०१४

प्रतिलिपि:-

1 श्री गोपाल कुमार वैद्य (स्टेनो प्लेसमेन्ट) वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

4 पृष्ठ की जानकारी प्राप्त किया

(Signature)

आर.के.चौधे

जन सूचना अधिकारी

नगरपालिक निगम चिरमिरी

जिला-कोरिया (छठगठ)

File - Sully
21/5/14

21/5/14
88 / 8302
02/05/14

OK

10

कार्यालय, जनसूचना अधिकारी, नगरपालिक निगम चिरमिरी,
जिला-कोरिया (छोगो)

क्रमांक/२३६/ज०सू०अधि०-०५/न०पा०नि०/२०१४
प्रति,


चिरमिरी, दिनांक ०२/०५/१४

श्री सुमेर सिंह आ० स्व० झेल साय
साडा काम्पलेक्स, हल्दीबाड़ी
चिरमिरी, जिला-कोरिया (छोगो)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत जानकारी के संबंध में।
संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक ०१.०५.२०१४

विषयांतर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अंतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी राजस्व शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार तैयार कर प्रदाय की गई है। जो (५ पृष्ठ) की है, अतः नियमानुसार (०२ रुपये प्रति पृष्ठ) राशि जमा कर ०३ दिवस के भीतर निगम कार्यालय में कार्यालयीन समयावधि में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर पावती प्रदाय करने का कष्ट करें।

सूचनार्थ प्रेषित!


आर.के.चौबे
जन सूचना अधिकारी
नगरपालिक निगम चिरमिरी
जिला-कोरिया छोगो

File

3/6

संका सं.

श्रीमान् सि. एम. एन. एन.
लाडा - चिरमिरी क्षेत्र

विषय - इसी लाडा क्षेत्र के नाम विधान इकाय नं (12) के
के नाम हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ

विशेष यह है, कि श्री लोहरराज आलोज नामकी
रामप्रसाद यह पूर्ण होगो हवाश नया विना किली की इकाय
यह लिखित देना है, कि जो कोरे नाम की इकाय नं 12
आरह है, यह काकी कालीनों के लय परी है, नया को
या किराया देने में भी अनुसमर्थ है, जो की कोरे नाम
दिल्ली बंदर की हालत अच्छी नहीं होने के कारण को
इकाय यलाने को अनुसमर्थ है। अतलिये को अनुसमर्थ
की यह इकाय नं-12 आरह अपने लक्ष्योमी की इकाय
है, कोरे नाम के नाम पर लय परी का इकाय कोरे नाम
के हस्तांतरण कर देने को अनुविष्टन दे रहा है।

इकाय दिन के आरह पर इकाय नही यलानेवा, अतः लय परी
यह इकाय अपने नाम के हस्तांतरण कर देने। अतः
हस्तांतरण के लय परी को कोरे परीवा लय के किली को
मालिका द्वारा कोरे - किली की प्रकाश की आयनी नही होगी।
अतः लिखित आग के आरह ले इकाय नं-12 परी कोरे नाम को
परीवा लय का कोरे की किली की प्रकाश का अनुविष्टन कर

दोनों पात्र नवाहों के नामों पर लय परी
[जो लय के लय नं है] अपने दिनांक को 24,000 कोरे
[लय नं ले लाडा] का लय परी लय परी लय परी लय परी लय परी
को दे दिया है। अतः लय परी लय परी लय परी लय परी लय परी
अतः लय परी लय परी लय परी लय परी लय परी लय परी
इकाय नं-12 आरह ले लय परी लय परी लय परी लय परी लय परी
या पूर्ण रूप से परीवा लय परी करे।


दामोदा

हस्तांतर
लोहरराज

नगरपालिक निगम चिरमिरी
जिला - कोरिया (उ.प्र.)

जन सूचना अधिकारी
नगरपालिक निगम, चिरमिरी
जिला : कोरिया (उ.प्र.)

लोहरराज आलोज
स्वामी रामप्रसाद



// इकरारनामा //

मै सुमेर सिंह आओ देलसाय, निवासी-रनओओओओओ चिरमिरी
 जिला- सरगुजा मओओ का निवासी हूँ, ओ कि निम्नानुसार इकरार करता हूँ

- 1/ कि नगरपालिका परिषद, चिरमिरी द्वारा हल्दीबाड़ी में निर्मित
 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों में से दुकान क्र० 12 {तारह} को
 दिनांक 07-06-97 से 06-06-2000 तक तीन वर्षों के लिये मासिक
 किराया रुपये 414=00 ₹ चार सौ चौदह पर प्राप्त किया है।
- 2/ दुकान का मासिक किराया प्रत्येक माह के 10 ता० तक जमा कर
 दूंगा। किराया निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं करने पर 12.5%
 बैंक की ब्याज दर से विलम्ब शुल्क अदा करूंगा। किराया लगातार
 तीन माह तक जमा नहीं करने की स्थिति में नगरपालिका परिषद को
 यह अधिकार होगा कि दुकान को जमा सुरक्षा राशि को बका कर में।
- 3/ कि दुकान की रीयर लिफ्ट-पोतार्ड को जिम्मेदारी मेरी एवं को
 होगी।
- 4/ यह कि बिजली का मीटर आदि का प्रबंध मेरे द्वारा स्वयं किया
 जायेगा। यदि किसी कारण वशा दुकान नुके होइना पड़ा तो यह
 समान परिषद का होगा। इन समानों को मुझे निकालने का कोई
 अधिकार नहीं होगा। और न ही मैं किसी प्रकार का मुआवजा
 पाने का अधिकारी होऊंगा।

सुमेर सिंह
 निवासी-रनओओओओओ
 जिला- कोरिया (छ.ग.)

जनसूचना अधिकारी
 नगरपालिका निगम, चिरमिरी
 जिला- कोरिया (छ.ग.)

पृष्ठ-2

सुमेर सिंह

जन सूचना अधिकारी
 नगरपालिका निगम, चिरमिरी
 जिला : कोरिया (छ.ग.)



1/2/1

- 5/ यह कि छत पर मेरा किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा तथा दुकान को दीवार व फर्श मेरे द्वारा सुरक्षित रखो जायेगी तथा दुकान में किसी प्रकार का बेर बका कराने का मुझे कोई अधिकार नहीं होगा। यदि इसकी आवश्यकता हुई तो परिषद से पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही दर बदल करूंगा तथा पूर्ण स्वयं त्वयं वहन करूंगा।
- 6/ यह कि दुकान की किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उसका पूरा खर्जाना मुझे बसूल करने का अधिकार परिषद को होगा।
- 7/ यह कि दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण करने अथवा पगड़ी पर देने का मुझे कोई अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा पाया गया तो मेरा सुरक्षा निधि राजस्वत कर दुकान बका करने का पूर्ण अधिकार परिषद को होगा।

जन सूचना अधिकारी
 नगरपालिक निगम, चिरमिरी
 जिला : कोरिया (छ ग.)

प्रमुख अधिकारी
 नगरपालिक निगम, चिरमिरी
 जिला : कोरिया (छ ग.)

क्र. 3
 श्री 2 सिंह

जन सूचना अधिकारी
 नगरपालिक निगम, चिरमिरी
 जिला : कोरिया (छ ग.)

(64)

1000



11311

- 8/ तीन वर्ष की समाप्ति के समाप्ति पर परिसर को दुकान खाली कराने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रत्येक तीन के पश्चात पुनः दुकान आबंटन करने पर नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 के प्रावधान अनुसार किराया में जो भी वृद्धि की जायेगी वो में भुगतान करगें।
- 9/ उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर 72 घंटे की नोटिस देकर दुकान खाली कराने का पूर्ण अधिकार परिसर को होगा।

सुधीर सिंह

गवाह:-

इकरा रकर्ता,

1. T. P. Roy

2. ...

3. ...

जन सूचना अधिकारी

जन सूचना अधिकारी
नगरपालिका निगम, चिरमिरी
जिला - कोरिया (उ.ग.)

कॉपी

पत्र का
में

परिषद

पत्र

क्र 12

5-97

अधी